राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः SHSB/PM/233/2009/P-I/....244....

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति
सभी जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति

पटना, दिनांक...17/04/2020...

विषयः COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर/स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय सामग्रियों आदि के क्रय संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य क्रम में एवं विभिन्न आपातकालीन/आकस्मिकी अवसरों पर स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय सामग्रियों की सरकारी अस्पतालों में आवश्यकता होती है। गुणवत्तायुक्त चिकित्सकीय सामग्रियों एवं आवश्यक औषधियों की न्यूनतम दर पर अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्य क्रय संगठन के रूप में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) गठित है और निगम द्वारा जिलों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की जा रही है।

2. COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार की सुरक्षा उपस्कर एवं चिकित्सकीय उपकरणों की आवश्यकता जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों को है। इसी क्रम में स्पष्ट करना है कि Protective Items यथा- N-95 Mask, 3-Ply Surgical Mask, Peronsal Protective Equipment (PPE) Kit, एवं नमूनाकरण हेतु Viral Transport Media (VTM) तथा Hydroxychloroquine Tablet का राज्यस्तर पर अभाव है और जिलों में इसके सदुयोग की युक्तिसंगगता (Rational Use) को दृष्टिपथ में रखते हुये राज्य स्वास्थ्य समिति के आबंटनादेश के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा इसकी आपूर्ति जिलों को की जा रही है। इसके अतिरिक्त BMSICL के स्तर से Sterile Gloves, Non Sterile Gloves, Disposable Head Cap एवं Ventilator का दर अनुबंध किया गया है और जिलों के अधियाचना के आलोक में आवश्यकतानुरूप इसकी आपूर्ति की जा रही है। अतएव N-95 Mask, 3-Ply Surgical Mask, Peronsal Protective Equipment (PPE) Kit, Viral Transport Media (VTM), Sterile Gloves, Non Sterile Gloves, Disposable Head Cap एवं Ventilator तथा Hydroxychloroquine Tablet का जिलास्तर/स्थानीय स्तर पर क्रय नही किया जाये। उक्त सामग्रियों की आपूर्ति हेतु जिलों से प्राप्त अधियाचना एवं COVID- 19 के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सभी जिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के आबंटनादेश के अनुरुप BMSICL द्वारा आपूर्ति किया जा रहा है।

3. उपर्युक्त कंडिका 2 से इतर तथा COVID-19 के संक्रमण से बचाव एवं चिकित्सकीय उपचार हेतु सामग्रियों/औषधियों जिनका दर अनुबंध BMSICL के स्तर से नही किया गया है और COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में आकस्मिक एवं अपरिहार्य स्थिति में आवश्यकता हो तो मात्र उन्हीं चिकित्सकीय सामग्रियों एवं औषधियों का जिलास्तर/स्थानीय स्तर पर क्रय किया जाये।

जिलास्तर/स्थानीय स्तर पर क्रय करने हेतु विभागीय अनुदेश एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के निदेश यथावत रहेंगे। उक्त अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुये जिलास्तरीय क्रय किया जाये।

4. COVID- 19 से संबंधित Protective Equipments एवं अन्य चिकित्सकीय सामग्रियों की कोरोना वायरस के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा सभी प्रभावित जिलों में इसकी उपलब्धता आवश्यक है। अतः निदेश है कि इसके ससमय सदुपयोग को दृष्टिगत रखते हुये जिलास्तर पर आवश्यकता आधारित सामग्रियों का हीं क्रय किया जाये।

5. उपर्युक्त के अनुसरण में COVID-19 वैश्विक महामारी से संबंधित विभिन्न सामग्रियों/ सर्जिकल सामग्रियों/ औषधियों का ससमय अधिप्राप्ति किया जाये।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

मनोज कुमार, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांकः SHSB/PM/233/2009/P-I/...............

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति
सभी जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति

पटना, दिनांक.................

विषयः COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर/स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय सामग्रियों आदि के क्रय संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य क्रम में एवं विभिन्न आपातकालीन/आकस्मिकी अवसरों पर स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय सामग्रियों की सरकारी अस्पतालों में आवश्यकता होती है। गुणवत्तायुक्त चिकित्सकीय सामग्रियों एवं आवश्यक औषधियों की न्यूनतम दर पर अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्य क्रय संगठन के रूप में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) गठित है और निगम द्वारा जिलों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की जा रही है।

2. COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार की सुरक्षा उपस्कर एवं चिकित्सकीय उपकरणों की आवश्यकता जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों को है। इसी क्रम में स्पष्ट करना है कि Protective Items यथा- N-95 Mask, 3-Ply Surgical Mask, Peronsal Protective Equipment (PPE) Kit, एवं नमूनाकरण हेतु Viral Transport Media (VTM) तथा Hydroxychloroquine Tablet का राज्यस्तर पर अभाव है और जिलों में इसके सदुयोग की युक्तिसंगगता (Rational Use) को दृष्टिपथ में रखते हुये राज्य स्वास्थ्य समिति के आबंटनादेश के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा इसकी आपूर्ति जिलों को की जा रही है। इसके अतिरिक्त BMSICL के स्तर से Sterile Gloves, Non Sterile Gloves, Disposable Head Cap एवं Ventilator का दर अनुबंध किया गया है और जिलों के अधियाचना के आलोक में आवश्यकतानुरूप इसकी आपूर्ति की जा रही है। अतएव N-95 Mask, 3-Ply Surgical Mask, Peronsal Protective Equipment (PPE) Kit, Viral Transport Media (VTM), Sterile Gloves, Non Sterile Gloves, Disposable Head Cap एवं Ventilator तथा Hydroxychloroquine Tablet का जिलास्तर/स्थानीय स्तर पर क्रय नही किया जाये। उक्त सामग्रियों की आपूर्ति हेतु जिलों से प्राप्त अधियाचना एवं COVID- 19 के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सभी जिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के आबंटनादेश के अनुरुप BMSICL द्वारा आपूर्ति किया जा रहा है।

3. उपर्युक्त कंडिका 2 से इतर तथा COVID-19 के संक्रमण से बचाव एवं चिकित्सकीय उपचार हेतु सामग्रियों/औषधियों जिनका दर अनुबंध BMSICL के स्तर से नही किया गया है और COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में आकस्मिक एवं अपरिहार्य स्थिति में आवश्यकता हो तो मात्र उन्हीं चिकित्सकीय सामग्रियों एवं औषधियों का जिलास्तर/स्थानीय स्तर पर क्रय किया जाये।

जिलास्तर/स्थानीय स्तर पर क्रय करने हेतु विभागीय अनुदेश एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के निदेश यथावत रहेंगे। उक्त अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुये जिलास्तरीय क्रय किया जाये।

4. COVID- 19 से संबंधित Protective Equipments एवं अन्य चिकित्सकीय सामग्रियों की कोरोना वायरस के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका है तथा सभी प्रभावित जिलों में इसकी उपलब्धता आवश्यक है। अतः निदेश है कि इसके ससमय सदुपयोग को दृष्टिगत रखते हुये जिलास्तर पर आवश्यकता आधारित सामग्रियों का हीं क्रय किया जाये।

5. उपर्युक्त के अनुसरण में COVID-19 वैश्विक महामारी से संबंधित विभिन्न सामग्रियों/ सर्जिकल सामग्रियों/ औषधियों का ससमय अधिप्राप्ति किया जाये।

विश्वासभाजन

ह०/-

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक:......244........ पटना, दिनांक......17/04/2020.......

प्रतिलिपि:

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक